न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष :मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3145–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–10–2013 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 10/निगरानी/2011–12

.....

राकेश आ0 श्री रामसिंह,
निवासी ग्राम खोहा तहसील एवं
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर रायसेन
2–अमरसिंह आ0 श्री मर्दनसिंह
निवासी ग्राम खोहा तहसील एवं
जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

– – –

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक

श्री रमेश सक्सैना, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/4/16 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 42 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रायसेन के समक्ष सीलिंग प्रकरण प्रचलित होकर अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा दिनांक 21–5–1976 को आदेश पारित कर आवेदक के विरूद्ध 23.32 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 2 द्वारा कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–7–1979 को आदेश पारित कर निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–10–2013 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे वर्ष 1974–75 की स्थिति में आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा धारित की जाने वाली असिंचित भूमि की पात्रता का आंकलन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में कर ले । यदि आवेदक के पास उक्त तिथि में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पात्रता से अधिक असिंचित कृषि भूमि पाई जाती है तो वह विधि अनुरूप कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीलिंग प्रकरण कमांक 82/सीलिंग/1974–75 में दिनांक 21–5–1976 को आदेश पारित कर 23.32 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 2 द्वारा विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत किये गये, परन्तु आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

(2) आवेदक को प्रथम बार प्रश्नाधीन प्रकरण की जानकारी उस समय हुई जब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आयुक्त के आदेश के पालन में पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

(3) यह मान्य तथ्य है कि सर्वे कमांक 220 रकबा 2.691 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में काबिल कास्त के रूप में दर्ज है तथा उक्त भूमि में से लगभग एक हेक्टेयर पर आवेदक का बगीचा लगा हुआ है तथा कुछ अंश भाग पर उसका मकान बना हुआ

है जिसमें आवेदक परिवार सहित निवास करता है । इस तथ्य की जानकारी अनावेदक कमांक 2 को थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालयों में उसके द्वारा छिपाया गया है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम भी दर्ज है, इसलिये वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं, परन्तु तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालयों में अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

(5) आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों को नहीं बुलाया गया है और उनके द्वारा संभावनाओं पर आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख की मॉग की गई है और अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी से विधिवत् प्रतिवेदन मॉगा गया है और अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर ही आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि वर्ष 1974–75 की स्थिति में अनावेदक कमांक 2 के परिवार के सदस्यों द्वारा धारित की जाने वाली असिंचित भूमि की पात्रता का आंकलन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में किया जाये और यदि आवेदक के पास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता से अधिक असिंचित भूमि पाई जाती है तो वे विधि अनुरूप कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं । आयुक्त के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाना है, जहॉ पर यदि प्रश्नाधीन भूमि में से अंश भाग पर आवेदक का स्वामित्व है तो वे प्रमाणित कर सकते हैं । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है और कलेक्टर द्वारा दिनांक 38–7–1979 को आदेश पारित कर

निगरानी निरस्त की गई है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है और आयुक्त द्वारा दिनांक 31–10–2013 को निगरानी में आदेश पारित किया गया है । अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है, अतः इस निगरानी के सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । इसके अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जहॉ आवेदक अपना पक्ष रखने के लिये स्वतंत्र है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर